

-: कार्यबृत्त :-

प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, अनुभाग द्वारा परिवहन (टान्सपोटेशन) कार्य हेतु आमंत्रित की जाने वाली ई-निविदा की शर्तों के सम्बन्ध में निविदा समिति की बैठक दिनांक 05.05.26 को अपर कृषि निदेशक, प्रसार उ० प्र० महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुयी जिसमें उपस्थिति निम्नवत रही है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. अपर कृषि निदेशक प्रसार कृषि भवन लखनऊ | अध्यक्ष |
| 2. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन लखनऊ | सदस्य |
| 3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. संयुक्त कृषि निदेशक ब्यूरो लखनऊ | सदस्य |

प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, अनुभाग के टान्सपोटेशन कार्य हेतु निविदा समिति की बैठक में निविदा समिति के सदस्य/सचिव द्वारा निविदा की शर्तों, तकनीकी/वित्तीय निविदा प्रपत्र के मूल्य, धरोहर धनराशि/जमानती धनराशि आदि का विवरण निविदा समिति के समक्ष निम्नानुसार विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया

परिवहन (टान्सपोटेशन) कार्य विषयक शर्तें

तकनीकी निविदा प्रपत्र-2026-2027

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक,
प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो,
9, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ।

महोदय,

समाचार पत्र में वर्ष 2026-2027 में मुद्रित कृषि साहित्य स्माल कर्मेशियल वाहन, लाईट कर्मेशियल वाहन, मीडियम कर्मेशियल वाहन से संबन्धित

जनपदो, मण्डलो में उपलब्ध कराने हेतु तथा राजकीय कार्य हेतु ई निविदा सूचना प्रकाशित कराई गयी है। मैंने उसे एवं आपके कार्यालय की ई निविदा जो आनलाईन अपलोड की गई है, के नियम व शर्तों का भली भाँति अध्ययन कर लिया है। तदनुसार उन्हें स्वीकार करते हुये आपकी नियम एवं शर्तों के अधीन मैं निविदा प्रपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- | |
|--|
| 1-निविदा का शुल्क रू०- /-(रू०- 8,500.00) मात्र। |
| 2-निविदा अपलोड होने का दिनांक- |
| 3-निविदा ऑनलाइन भरने की तिथि व समय- दिनांक तक अपरान्ह 12:30 बजे। |
| 4-तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय-दिनांक को अपरान्ह 2:00 बजे। |
| 5-निविदा खोले जाने का स्थान-बैठक कक्ष, तृतीय तल (प्रसार) कृषि भवन, लखनऊ। |

| क्र०सं० | विवरण | निविदादाता द्वारा भरा जायेगा |
|---------|---|------------------------------|
| 1 | निविदादाता/फर्म/कम्पनी का नाम | |
| 2 | पंजीकृत प्रमाण-पत्र | |
| 3 | पत्राचार का पता | |
| 4 | अग्रिम धनराशि (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट का नं० एवं धनराशि | |
| 5 | निविदा सशर्त है या नहीं | |
| 6 | फर्म/कम्पनी के ब्लैक लिस्टेड न होने एवं उसके विरुद्ध आपराधिक मामला लम्बित न होने संबंधी शपथ-पत्र अपलोड है अथवा नहीं | |
| 7 | फर्म/कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय का पता | |

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,

(अवधेश कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी

(ए०के० सिंह) (डा० कनीज फातिमा)
संयुक्त कृषि निदेशक, ब्यूरो अपर कृषि निदेशक (प्रसार)

| | | |
|----|---|--|
| 8 | फर्म/कम्पनी का चालू खाता नम्बर व बैंक का नाम | |
| 9 | वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.पंजीयन संख्या (छायाप्रति अपलोड करें) | |
| 10 | निविदा प्रपत्र शुल्क की रशीद की छायाप्रति अपलोड करें | |
| 11 | श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन सं० (छायाप्रति अपलोड करें) | |
| 12 | वाहनो की आर.सी., प्रदूषण, इन्श्योरेन्स, परिवहन विभाग द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें | |
| 13 | वार्षिक टर्नओवर की धनराशि (विगत तीन वर्षों की बैलेन्स सीट की छायाप्रति अपलोड करें) | |
| 14 | आयकर विभाग का पंजीयन की संख्या (पैन न०) व जमा आयकर रिटर्न की विगत तीन वर्षों की छायाप्रति अपलोड करें | |
| 15 | तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किए गए अभिलेखों की संख्या | |
| 16 | अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करे | |


निविदादाता का डिजिटल हस्ताक्षर, नाम व फर्म का पूरा पता


(1) योग्यता/पात्रता मापदण्ड ;Qualification/Eligibility Criteriya)


(i)– निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाली निविदादाता एक साझेदारी फर्म जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत हो, एक कम्पनी जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत हो एक सोसाइटी जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा एक प्रोपराइटरशिप फर्म जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीकृत हो सकती है। जिनसे सम्बन्धित वैध (Valid) पंजीकृत प्रमाणपत्र की प्रति निविदा के साथ अपलोड की जायेगी।


(ii)– निविदादाता के पास वैध आयकर पंजीकरण एवं जी०एस० टी० पंजीयन होना चाहिए जिनकी पुष्टि हेतु पेन कार्ड एवं जी०एस०टी० पंजीयन की प्रति निविदा के साथ अपलोड की जायेगी।

(iii)– निविदादाता ईकाई का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात 2023–2024, 2024–25 एवं 2025–26) का औसत वार्षिक टर्न ओवर रू० 8.00 (आठ लाख) होना अनिवार्य है जिनकी पुष्टि हेतु विगत दो वर्षों की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिटेड बैलेन्स शीट की प्रमाणित प्रति एवं पिछले दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।


(धर्मन्द्र कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
राजकीय मत्तणालय


(अवधेश कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृषि भवन लखनऊ


(ए०के० सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक, ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश


(डा० कनीज फातिमा)
अपर कृषि निदेशक (प्रसार)
उत्तर प्रदेश

(iv)– निविदादाता ईकाई के पास एक वर्ष का टान्सपोर्टेशन कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। जो तकनीकी निविदा के अपलोड किया जायेगा।

(v)– निविदा में उन्ही ईकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है जिन्हे:-

- (A) किसी राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी प्रतिष्ठान/अभिकरण के द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो।
- (B) निविदादाता को न तो कभी दिवालिया और न ही ऋण चुकाने में अक्षम घोषित किया गया हो।
- (C) निविदादाता के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में सिद्ध दोष घोषित नहीं किया गया हो।

निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी शर्तों का समग्रता/निष्ठा से पालन किया जायेगा जिसे शपथ-पत्र में उल्लेखित किया जायेगा।

निविदादाता को उपरोक्तानुसार रू 100.00 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।

(vi)– स्माल कर्मेशियल वाहन ,लाईट कर्मेशियल वाहन, मीडियम कर्मेशियल वाहन कार्यालय की आवश्यकतानुसार समय से उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में दूसरी फर्म/कम्पनी से कार्य करा लिया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति लम्बित बिल से अथवा जमानती धनराशि से कर ली जायेगी।

(vii)–फर्म/कम्पनी को श्रम विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसकी छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

(viii)– स्माल कर्मेशियल वाहन ,लाईट कर्मेशियल वाहन,मीडियम कर्मेशियल वाहन मजदूर आदि की ब्यवस्था फर्म/कम्पनी को करनी होगी। फर्म/कम्पनी के पास कम कम दो-दो वाहन रहना अनिवार्य है। स्वामित्व प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

(ix)– स्माल कर्मेशियल वाहन ,लाईट कर्मेशियल वाहन, मीडियम कर्मेशियल वाहन से कृषि साहित्य को जनपदो/मण्डलो मे प्राप्त कराने हेतु फर्म/कम्पनी को एक शिक्षित कर्मचारी तथा साहित्य उतारने,चढाने के लिए आवश्यकतानुसार मजदूर भेजने होंगे। उपरोक्त कार्यों को कराने में विभाग द्वारा कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।

(x)– स्माल कर्मेशियल वाहन ,लाईट कर्मेशियल वाहन ,मीडियम कर्मेशियल वाहन की रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

(2)–निविदादाताओं हेतु निर्देश:-

A. टेण्डर प्रपत्र का मूल्य:-निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0-8,500 आठ हजार पाँच सौ मात्र जी. एस.टी.सहित होगा जो निर्धारित तिथि दिनांक से दिनांक तक अपरान्हन 12.30 बजे तक ट्रेजरी/बैंक में चालान के माध्यम से प्राप्ति लेखाशीर्षक-0401-फसल कृषि कर्म-00-800-अन्य प्राप्तियाँ-14- कृषि विभाग की अन्य प्राप्तियाँ मद में जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं होगा। जमा शुल्क की धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सहायक निदेशक

राजकीय मद्रणालय ऐशवाग

(अवधेश कुमार)

वित्त एवं लेखाधिकारी
कृषि भवन लखनऊ

(ए०के० सिंह)

संयुक्त कृषि निदेशक, ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश

(डा० कनीज फातिमा)
अपर कृषि निदेशक (प्रसार)
उत्तर प्रदेश

B- निविदा प्राप्त करने एवं निविदा खोलने की तिथि—निविदा प्रपत्रों को जमा/अपलोड करने की तिथि दिनांक से दिनांक को अपराह्न 12.30 बजे के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथियों के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं को निविदा दाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। यदि निविदा के समय सारणी में कोई परिवर्तन किया जाता है तो यथा समय यथा विधि समस्त सम्बन्धित को इससे सूचित किया जायेगा।

C- अर्नेस्ट मनी—निविदादाता द्वारा निविदा को ई टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करते समय अर्नेस्ट मनी की धनराशि **रु0- 49,000.00 (उन्चास हजार)** मात्र का राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर/टी0डी0आर0/बैंकर्स चेक कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, के पदनाम से बंधक/देय होगा की छायाप्रति भी अपलोड करनी आवश्यक होगी जिनकी मूल प्रति निविदा समिति के समक्ष तकनीकी खुलने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। असफल निविदाओं के उनके लिखित अनुरोध पर उनकी ई0एम0डी0 की धनराशि तत्काल वापस कर दी जायेगी। उद्योग निदेशालय तथा एन0एस0आई0सी0 के साथ पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों एवं खादी ग्रामीण इण्डस्ट्रीज, को आपरेटिव सोसाइटीज को अग्रिम धनराशि (अर्नेस्ट मनी डिपोजिट) जमा करने से छूट रहेगी तथा उद्योग निदेशालय तथा एन0एस0आई0सी0 एवं खादी ग्रामीण इण्डस्ट्रीज, को आपरेटिव सोसाइटीज द्वारा निर्गत पंजीकरण की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य हैं।

D. परफारमेन्स सिक्योरिटी— स्वीकृत पत्र निर्गत किये जाने के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर परफारमेन्स सिक्योरिटी जमा किये जाने और अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। परफारमेन्स सिक्योरिटी अनुबन्ध की धनराशि के 5 प्रतिशत के बराबर, निकटतम रु0 100.00 तक पूर्णांकित होंगी जो कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय होगी। अनुबन्ध के सभी दायित्वों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के 30 दिन बाद निविदादाता के लिखित प्रार्थनापत्र देने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी वापस की जायेगी। परफारमेन्स सिक्योरिटी पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।


E. निविदा के संलग्नक—निविदादाता को निविदा के शर्तों के अनुरूप निम्नानुसार समस्त अभिलेख निविदा के साथ संलग्न/अपलोड करने होंगे। निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अभिलेखों को संलग्न/अपलोड करते समय उनका परीक्षण कर लें अपूर्ण अभिलेख पाये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।



(क) तकनीकी निविदा प्रारूप में दर्शाये गये समस्त आवश्यक अभिलेखों को अपलोड करना अनिवार्य होगा, साथ ही अपलोड अभिलेखों की हार्डकापी विभाग को तकनीकी निविदा खुलने की तिथि को उपलब्ध करानी होगी।

(ख) निविदादाता द्वारा ई—निविदा अपलोड करते समय निविदा प्रपत्र शुल्क की रसीद (चालान द्वारा जमा)की छायाप्रति भी अपलोड करनी होगी जिसकी मूल प्रति तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(ग)—निविदादाता द्वारा निविदा को ई—टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करते समय अर्नेस्ट मनी की धनराशि **रु0- 49,000.00 (उन्चास हजार)** का राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/ टी0डी0आर0/बैंकर्स चेक की छायाप्रति भी अपलोड करनी होगी। जिसकी मूल प्रति तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,


(अवधेश कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृषि भवन लखनऊ


(ए०के० सिंह) 
संयुक्त कृषि निदेशक, ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश

(डा० कनीज फातिमा)
अपर कृषि निदेशक (प्रसार)
उत्तर प्रदेश

(घ)-अर्हता से सम्बन्धित अभिलेख

- 1-फर्म/सोसाईटी/प्रोप्राइटरशिप के पंजीयन से सम्बन्धित अभिलेख (क्रमांक-1 (I))
- 2-जी0एस0टी0 पंजीयन एवं पैन कार्ड की प्रति (क्रमांक-1 (II))
- 3-साक्ष्य हेतु विगत दो वर्षों की प्रति चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा आडिटेड बैलेन्स शीट की प्रमाणित प्रति एवं जमा किये गये आयकर रिटर्न की प्रति (क्रमांक-1 (III))
- 4-किसी अन्य विभाग/राजकीय संस्था में किये गये समान प्रकृति के कार्यदेश की प्रति एवं विभाग द्वारा सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र (क्रमांक-1 (iv))
- 5-निविदादाता फर्म कम्पनी के विरुद्ध किसी न्यायालय व अन्य अपराधिक वाद के लम्बित न होने तथा फर्म को ब्लैक लिस्ट न किये जाने के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर नोटरी शपथ पत्र अपलोड करते हुए तकनीकी लिफाफे में मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(क्रमांक-1 (v))

- 6-उक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या-1 योग्यता/पात्रता मापदण्ड के अन्तर्गत अन्य प्रमाण पत्र /अभिलेख जो आवश्यक हो अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) तकनीकी निविदा की नियम व शर्तें: (अ).-सामान्य शर्तें

- (i)-निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड की जायेगी।
- (ii)-निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि तकनीकी बिड पूर्णतया: भर दी गयी है। अपूर्ण अभिलेख पाये जाने पर निविदा के संबन्ध में तकनीकी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (iii)-निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
- (iv)-निविदादाता को निविदा प्रपत्र में दी गयी शर्तों का समग्रता/निष्ठा से पालन करना होगा।
- (v)-बिड सभी प्रकार से पूर्ण एवं शर्तें रहित होनी चाहिए। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- (vi)-निविदादाताओं के मध्य व्यावसायिक समूहन(Cartelisation)का कोई संकेत नहीं होना चाहिए।
- (vii)-निविदा खोलने की तिथि को यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- (viii)-निविदा अपलोड किये जाने की अन्तिम अवधि के पूर्व निविदा प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन किये जाने का अधिकार कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश, को होगा। अतः निविदा में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं के लिए आवश्यक होगा कि विभाग द्वारा निविदा प्रपत्र में किये गये संशोधन की जानकारी हेतु ई-टेंडर की **website: www.etender.up.nic.in** को नियमित रूप से चेक करते रहे ताकि संशोधन की दशा में उनके द्वारा पूर्व में अपलोड किये गये निविदा प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन कर पुनः अपलोड किया जा सके।

D

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सहायक निदेशक

(अवधेश कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृषि भवन लखनऊ

(ए०के० सिंह) (डा० कनीज फातिमा)
संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश

(ix)–निविदादाताओं द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रष्ट व्यवहार, तथ्यों का छिपाव एवं गलत प्रकार से प्रस्तुतीकरण, किसी भी प्रकार का प्रलोभन आपत्ति जनक व्यवहार जो कि पारदर्शिता को प्रभावी करके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाना चाहिए।

(x)–निविदा के साथ आवांछित प्रपत्र अपलोड न किये जाये।

(xi)–निविदा के साथ अपलोड किये गये सभी अभिलेख/प्रमाण पत्र केवल पी0डी0एफ0 (PDF) फारमेट पर होना चाहिए जो कि पठनीय हो।

(xii)– कृषि विभाग एवं निविदादाता के मध्य किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

(xiii)– तकनीकी निविदा प्रपत्र योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा प्रपत्र खोले जायेंगे। वित्तीय निविदा प्रपत्र खेलने की सूचना तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को पत्र/ई-मेल/दूरभाष के माध्यम से बाद में दी जायेगी।

(xiv)– स्वीकृत निविदा अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा विशेष परिस्थितियों में आगामी वित्तीय वर्ष में निविदा के स्वीकृत तिथि तक मान्य होगी।

(ब)–विशिष्ट शर्तः–

(i) प्रो0/फर्म/कम्पनी का क्षेत्रीय कार्यालय निविदा स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर लखनऊ में स्थापित करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत निविदा निरस्त करते हुए सम्बन्धित प्रो0/फर्म/कम्पनी की धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) को जब्त करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

(ii) वित्तीय निविदा प्रपत्र में यथास्थान दर, जी0एस0टी0 व अन्य कर को भरना होगा।

(iii) सफल निविदादाता को नियमानुसार नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की अवधि स्वीकृत दर की वैद्यता की तिथि तक होगी।

(iv) निविदा की अवधि पूर्ण होने के 30 दिन बाद जमानती धनराशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) वापस की जायेगी।

(v) निविदा प्रपत्र में यथासम्भव कोई कटिंग इत्यादि नहीं होनी चाहिए। यदि कटिंग है तो निविदादाता द्वारा कटिंग प्रमाणित होनी चाहिए।

(vi) वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि के अंको एवं शब्दों में अन्तर होने की स्थिति में शब्दों में अंकित धनराशि मान्य होगी।

(vii) तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किये गये अभिलेखों की मूल प्रतियाँ आवश्यकतानुसार निविदा समिति परीक्षण कर सकती है।


(viii) निविदा के वित्तीय प्रपत्र में अंकित की मात्रा अनुमानित है और आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।


(ix) निविदा में अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में निविदा निरस्त की जा सकती है।

(x) जनपदो/मण्डलो में कृषि साहित्य उपलब्ध करना होगा और प्राप्ति रशीद कार्यालय में


(धर्मन्द्र कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
कृषि विभाग, लखनऊ


(अवधेश कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृषि भवन लखनऊ


(ए०के० सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक, व्यूरो,
उत्तर प्रदेश


(डा० कनीज फातिमा)
अपर कृषि निदेशक (प्रसार)
उत्तर प्रदेश

उपलब्ध कराना होगा। कार्य में हुये ब्यवधान की भरपाई फर्म /कम्पनी की जमानती धनराशि से कर ली जायेगी।

(4)—तकनीकी निविदा का मूल्यांकन—निविदा समिति के अध्यक्ष सदस्यों एवं निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोला जायेगा। तत्पश्चात् निविदा समिति की अनुशंसा पर पात्र निविदादाता की वित्तीय विड खोली जायेगी।

(5)—वित्तीय निविदा—

(i)—निविदादाता द्वारा पृथक से निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय निविदा संलग्न/अपलोड करनी होगी।

(ii)—वित्तीय निविदा में धनराशि अंकों में तथा शब्दों में अंकित की जायेगी। अंको एवं शब्दों में भिन्नता की स्थिति में शब्दों में अंकित धनराशि के अनुसार वित्तीय निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा। जी.एस.टी.धनराशि पृथक से अंकित न किये जाने की स्थिति में अंकित मूल्य को जी.एस.टी. सहित माना जायगा।

(iii)—भविष्य में जी.एस.टी.दर में परिवर्तन की स्थिति में भुगतान हेतु परिवर्तित दर को संज्ञान में लिया जायगा।

(6)—वित्तीय निविदा का मूल्यांकन—

(i)—निविदा समिति द्वारा न्यूनतम दर (एल-1) का निर्धारण निविदा में दिए गए मात्रा पर आंकलित करते हुए महायोग के आधार पर किया जायेगा।

(ii)—फर्म/कम्पनी को दरो का उल्लेख करना/भरना अनिवार्य है।

(7)—दण्ड—


(i)— यदि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अनुबन्ध शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म की जमानत धनराशि (**Performance Security**) को जब्त करने निविदा में प्रतिभाग करने से निलम्बन ब्लैक लिस्ट, दण्डात्मक शुल्क आदि की कार्यवाही की जा सकती है।


(ii)— अनुबन्धित फर्म अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा राज्य/सरकार केन्द्र सरकार के किसी प्रतिष्ठान/अभिकरण के द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है तो ऐसी दशा में अनुबन्धित फर्म द्वारा 15 कार्य दिवस के भीतर इसकी लिखित सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके क्रम में विभाग द्वारा गुण अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। यदि फर्म द्वारा निर्धारित कार्यावधि में ब्लैक लिस्ट की सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो विभाग द्वारा एक पक्षिय कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित फर्म की जमानत धनराशि (**Performance Security**) को जब्त करने निविदा में प्रतिभाग करने से निलम्बन ब्लैक लिस्ट दण्डात्मक शुल्क आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

(8)—निरस्तीकरण—कृषि निदेशक, उ०प्र० के पास बगैर कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(9)—न्यायिक क्षेत्र—निविदादाता एवं कृषि विभाग के मध्य विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ जनपद होगा।


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सहायक निदेशक


(अवधेश कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृषि भवन लखनऊ


(ए०के० सिंह) (डा० कनीज फातिमा)
संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ कृषि निदेशक (प्रसार)
उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश

(10)–निविदा का अनुमानित मूल्य एवं भुगतान की विधि–

(i)– आमंत्रित ई–निविदा का अनुमानित मूल्य 49.00 लाख (उन्चास लाख) मात्र है ।

(ii)–आयकर/जी.एस.टी./टी.डी.एस. सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कर की कटौती नियमानुसार बिल से की जाएगी।

(iii)– स्माल कर्मेशियल वाहन ,लाईट कर्मेशियल वाहन ,मीडियम कर्मेशियल वाहन को कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। वाहन कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिये कोई भी अग्रिम भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा। सभी कार्य बिल स्तर पर करना होगा। कार्य का भुगतान चली गयी गई वास्तविक दूरी के आधार पर किया जायेगा। कार्य संतोषजनक न होने तथा प्राप्त रशीद कार्यालय में उपलब्ध न कराने की स्थिति में बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा। वित्तीय निविदा में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।



(धर्मन्द्र कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, ऐशमॉन
लखनऊ



(अवधेश कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृषि भवन लखनऊ



(ए०के० सिंह)
संयुक्त कृषि निदेशक, ~~व्यवस्था~~
उत्तर प्रदेश



(डा० कनीज फातिमा)
अपर कृषि निदेशक (प्रसार)
उत्तर प्रदेश


Financial Bid - 2026-2027

Transportation work

1. Name of bidder's Firm/Company :
.....
2. Authorized person of the Company :
.....
3. Address of the Firm/Company :
.....
4. Telephone No. : Office : Mobile :

Details for the transportation works as per specification in Agricultural Department, Uttar Pradesh for the Financial year 2026-27, by the Bidder / Thekedar are as under :


| S. No. | Particulars of the work | Unit | Presumption Quantity | Rate Per Unit (In Words and Figure with GST) | Total Cost with GST |
|--------|--|----------|----------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Transportation work | | | | |
| 1 | Providing Facilities of vehicles for transporting literature and exhibits from office to other districts with labours | | | | |
| | a) Small commercial vehicles capacity upto 2 ton in lucknow (Tata Ace, Mahindra Jeeto, Mahindra bolero pickup, Piaggio Ape Xtra) | Lump sum | 500 km | | |
| | b) Small commercial vehicles capacity upto 2 ton (Tata Ace, Mahindra Jeeto, Mahindra bolero pickup, Piaggio Ape Xtra) | Per Km. | 40000 km | | |
| | c) Light commercial vehicles capacity upto 4 tons (Tata 407 Gold, Eicher pro 2049, Maruti Suzuki Eeco Cargo, Tata 710) | Per Km. | 15000 km | | |
| | d) Medium commercial vehicles capacity upto 9 ton (Eicher Pro 3015, Tata 1109) | Per Km. | 5000 km | | |
| | Grand total | | | | |


(अवधेश कुमार)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृषि भवन लखनऊ

Signature of Bidder and
Name of Firm with full address


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग
लखनऊ


(ए०के० सिंह)


(डा० कनीज फातिमा)
भारत कृषि विभाग (ए०के०)